

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 106/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नन्द किशोर पिता गोवर्धन लाल कुमावत निवासी फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक 17.01.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 195039 के साथ एक आवेदन दिनांक 27.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां द्वारा कार्यालय के पत्रांक 201 दिनांक 10.01.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब तैयार कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां के पत्रांक आरटीआई/2022/162 दिनांक 30.11.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा